तारीख हुक्म/हस्ताक्षर पार्टी	कार्यवाही विवरण	
2.8.24	पत्रावली आज अदालत प्रस्तुत हुई अधिवक्ता वादी श्री जॉनी जैन उपस्थित है दिनांक 5/7/24 को प्रतिवादी सं. 1 से 16 की तामील के बाद पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 1, 5, 6, 7, 8, 16, के अलावा सभी प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6, 7, 8, 16 के अलावा सबका जवाब बन्द कीया गया प्राति० सं. 1, 5, 6, 7, 8, 16 ने सहमति व्यक्त की तथा कथन किया की अगर पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं प्रतिवादी सं. 2 से 4, 9 से 15 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है, प्रतिवादी सं. 23 का जवाब भी बावजूद तामील के नहीं आया है साथ ही प्रतिवादी सं. 23 अनुपस्थित भी है। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित हो कथन कीया की उन्हें प्रतिवादी सं. 17 से 22 के विरुद्ध कोई दाद भी नहीं चाहिये तथा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये, अधिवक्ता प्रतिवादी ने क्योंकि प्रतिवादी सं. 17 से 22 के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही है अत: इनके विरुद्ध इस न्यायालय से अब कोई आदेश नहीं जारी किया जाना है अत: अब सम्मन तामील की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पत्रावली मे तामील अथवा जवाब से सब की कोई कार्यवाही शेष नहीं है, तथा प्रतिवादी सं. 1, 5, 6, 7, 8, 16 ने पत्थरगढ़ी से सहमति व्यक्त की है अत: वाद पत्र अनुसार दिये गये आराजी सं. 165 166, 167, 174, 175, 185, 188, 232 कुल खसरा 08 कुल रकबा 3.7044 हे० मौजा लकुकालेवा के पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किये जाते है तहसीलदार को आदेशित किया जाता है की अपने कार्यालय से	प्रतिवादी संख्या 17 से 22 तक की भी कोई कार्य० की आवश्यकता नहीं है, [signature]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ★ लसाडिया, जिला-सलूम्बर

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

बनाम

मुकदमा

पत्रावली संख्या

सन

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
	सूचना पत्र जारी कर मौके पर उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी का कार्य निस्पादित करे, वादी तहसीलदार के चाहे व निर्देशानुसार मौके पर उपयुक्त साईज के पत्थर (गाढ़ने हेतु) तथा मजदूर (गढ्ढा करने हेतु) उपलब्ध करावे।	
	वादी तहसीलदार को एक दिवस का वेतन राजकोष मे जमा कराने पर ही पत्थरगढ़ी का कार्य किया जावे। उक्त एक दिवस के वेतन से नियमानुसार तहसीलदार उनको देय राशि पृथकसे बिल बनाकर राजकोष से आहरित कर सकेगे। T.R.A नियमानुसार उक्त की मांग कार्यवाही करे इस हेतु एक प्रति T.R.A. को भी निर्णय की भेजी जावे।	न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर
	पत्रावली मे निर्णय रखके अदालत मे सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)	

Scanned with CamScanner